न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प उज्जैन म.प्र.

निगरानी प्र.क्र. /2016

1) अकबर खां पिता मोती खां, उम्र-90वर्ष, धंधा-कृषि,

2) कमाल खां पिता अकबर खां उम्र-60वर्ष, धंधा-कृषि,

3) साबिर खां पिता अकबर खां उम्र-50वर्ष, धंधा-कृषि,

समस्त निवासीगण-ग्राम पंथमुंडला तहसील व जिला देवास म.प्र. ....निगरानीकर्तागण/प्रार्थीगण

विरुद्ध

याकूब खां पिता अब्बास खां, उम्र-55वर्ष, धंधा-कृषि,

निवासी-ग्राम पंथमुंडला तहसील व जिला देवास म.प्र. ....प्रतिप्रार्थी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.संहिता 1959

यह निगरानी प्रकरण क्रमांक 04ए/अ-70/2012-13 याकूब विरुद्ध अकबर मे नायब तहसीलदार महोदय देवास (श्रीमति रेखा सचदेव) द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.01.2016 से असंतुष्ट होकर समयावधि मे प्रस्तुत की जा रही है।

माननीय महोदय,

निगरानीकर्तागण की ओर से प्रतिप्रार्थी के विरुद्ध यह निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है ::-

-:: प्रकरण का संक्षिप्त विवरण ::-

1) यहकि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रतिप्रार्थी द्वारा एक आवेदन पत्र धारा 129 म.प्र.भू.रा.संहिता के अंतर्गत तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत ग्राम पंथमुंडला प.ह.नं. 3/6 तहसील देवास स्थित सर्वे नम्बर 349 रकबा 0.97 हेक्टर, सर्वे नम्बर 358 रकबा 0.63 हेक्टर कुल सर्वे नम्बर 02 कुल रकबा 1.60 हेक्टर की भूमि का सीमांकन किये जाने हेतु प्रस्तुत किया था जो प्रकरण क्रमांक 5-अ-12/2012-13 पर दर्ज होकर सीमांकन दिनांक 24.03.2013 का होकर निगरानीकर्ता क्र. 02 व 03 का सम्पूर्ण भूमि रकबा 1.60 हेक्टर पर कब्जा

(43)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रंकरण कमांक निगरानी672–तीन/2016 जिला देवास

अकबर खां आदि विरूद्ध याकूब खां

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01–3–2016	आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार देवास के प्रकरण कमांक 04/अ–70/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 18–01–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप तर्क किया कि अनावेदक ने तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत आवेदन पेश किया गया जिसपर तहसीलदार ने कार्यवाही प्रारंभ की और आवेदक के कथन हेतु नियत किया जिसपर आवेदक जो 90 वर्ष के हैं अचानक अचैत होने से आवेदक पेश कर कमीशन कथन करने हेतु समय दिये जाने का अनुरोध किया, परन्तु तहसीलदार ने आवेदक के कथन का अवसर समाप्त करके प्रकरण बहस हेतु नियत कर दिया। 3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवदेक 90 वर्ष का अत्यंत वृद्ध व्यक्ति है। नायब तहसीलदार ने आवेदक के बीमार होने से कथन दर्ज कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर अवसर चाहा था। चूंकि आवेदक वृद्ध पक्षकार है और उसके स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुये न्यायहित में आवेदक को कथन कराने हेतु एक अवसर प्रदान किया जाता है। नायब तहसीलदार को यह निर्देश दिये जाते हैं कि यदि प्रकरण में अंतिम बहस न हुई हो तो, आवेदक को कथन का अवसर प्रदान करें, तत्पश्चात प्रकरण में अंतिम बहस श्रवण की जाये। इसी निर्देश के साथ इस प्रकरण का निराकरण किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (डॉ0 मधु खरे) सदस्य	

17 February 2016